नारायण आदि — भंवरी बानो आदि प्र.सं. 106/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 18.9.24 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
18.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 20.9.24 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
1.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 14.10.24 को पेश हो।	मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.10.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.10.24 को पेश हो।	
16.10.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.10.24 को पेश हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(मुहर: न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर)
22/10/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज/स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 106/2015

1 नासर पुत्र मरहूम रमतुल्लाह
2 जूले खां पत्नी मरहूम हमीद
3 सतार पुत्र मरहूम हमीद
4 हसहाक पुत्र मरहूम हमीद
5 मकसूद पुत्र मरहूम हमीद
6 युनूस पुत्र मरहूम हमीद
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

7 गुलशन पुत्री साजिद पत्नी कयूम निवासी वार्ड नम्बर 26 विद्या भारतीय की गली, सीकर जिला सीकर।
8 अनवर पुत्र मरहूम साजिद
9 शब्बीर पुत्र मरहूम साजिद
10 जाबीद पुत्र मरहूम साजिद
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

11 अस्मत बानो पुत्री रमतुल्लाह पत्नी निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 26 मोहल्ला शेखपुरा हाजी मस्तानशाह सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती भंवरी बानों उम्र 77 साल पुत्री रमतुल्लाह पत्नी नवाब अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 26 मोहल्ला शेखपुरा हाजी मस्तानशाह, सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 श्रीमती माफिया पत्नी साकीर पुत्री मदीना
3 श्रीमती जाहिदा पत्नी इकबाल पुत्री मदीना
निवासीगण हाजी सुल्तानशाह मोहल्ला बिसालियान, सीकर जिला सीकर।
4 शमशाद पुत्र इस्माइल जाति मुसलमान निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
5 श्रीमती जिलू बानो पुत्री मरहूम रमतुल्लाह पत्नी निजामुदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम जाजोद हाल ग्राम अलखपुरा बोग बाबा के पास, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 निसार पुत्र नजीर उर्फ नाजिर शाह (मृतक)
6/1 नदीम
6/2 रशीद
6/3 मकसुद
6/4 शफीक पुत्रगण स्व. निसार जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 मुश्ताक पुत्र नजीर उर्फ नाजिरशाह
8 हासम पुत्र नजीर उर्फ नाजिरशाह
9 जीवण उर्फ अजीज पुत्री नजीर उर्फ नाजिरशाह
10 श्रीमती अंजमति पुत्री नजीर उर्फ नाजिरशाह
11 श्रीमती जुबेदा पुत्री नजीर उर्फ नाजिरशाह
12 श्रीमती रोशनी पुत्री नजीर उर्फ नाजिरशाह
13 मुन्शी पुत्री चीन्नूशाह (नाम हजफ)
समस्त निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 फारूक पुत्र सुलतान
15 सतार पुत्र सुलतान
16 रहमान पुत्र सुलतान (मृतक)
16/1 जमीला पुत्री मरहूम रहमान जाति मुसलमान
16/2 हुस्न बानो पुत्री मरहूम रहमान जाति मुसलमान
17 अब्बास पुत्र सुलतान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 शकील पुत्र सुलतान
19 सलीम पुत्र सुलतान
20 श्रीमती खैरूनिशा पुत्री सुलतान
21 श्रीमती राबिया पुत्री सुलतान
22 श्रीमती बिस्मिल्ला पुत्री सुलतान
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
23 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
24 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2015
दावा बउनवानी भंवरी बानो बनाम नासर आदि मुकदमा
नम्बर 04/2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद नायक आरएएस अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बाबूलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

पदन राजस्व ... अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 22.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2009 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 108 व नये 273, 281, 410/1, 410/3 वाके ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी कैम्प में डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस कानूनी आज्ञापक प्रावधान की कतई पालना नहीं की गयी कि राजस्व कैम्प में केवल उन्हीं मामलात का निर्णय किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत होना अथवा राजीनामा पेश किया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई सहमति होना अथवा राजीनामा पेश होना साबित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर भी कतई गौर नहीं किया कि वाद पत्र वादिनी द्वारा उद्घोषणा हक तथा बंटवारा बाबत पेश किया था ऐसा वाद केवल उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दावा तथा तनकी कायम कर साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है ऐसा वाद पत्र केवल मौखिक साक्ष्य का अभिवचन के आधार पर साबित होना कानूनन मान्य नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी वाद पत्र किसी भी प्रकार से साबित न होते हुए भी गलत रूप से डिक्री किया गया है। न्यायालय की आदेशिका से प्रकट होता है कि प्रकरण में अभी सभी पक्षकारों की तामील भी नहीं हुई थी तथा ना ही किसी पक्षकार द्वारा कोई जवाब दावा अथवा वाद पत्र के पक्ष में सहमति प्रकट की गयी थी। इसके बावजूद बिना सिविल प्रकिया संहिता में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का कोई अवलोकन किये तथा बिना उक्त प्रावधानों की पालना किये मनमाने तौर पर आज्ञा पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल कारित की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अ
सीकर

किया गया है कि वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधिकांश प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आए। इस स्थिति का कानूनन किस प्रकार से विश्लेषण किया जावे यह तथ्य समझ से परे है। क्योंकि वाद पत्र की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्थिति प्रकट नहीं होती है कि कितने प्रतिवादी उपस्थित हुए, कितनों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा कितनों की तामील बकाया है। इस प्रकट स्थिति के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा केवल यह उल्लेख कर दिया जाना कि 'वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 चल रहा है। जिसके तहत ग्राम पंचायत धाननी में कैम्प का आयोजन किये जाने मात्र से किसी न्यायिक प्रकिया को ताक में नहीं रखा जा सकता है। यदि प्रकरण में दोनों पक्ष सहमत न हो तब ऐसे प्रकरण का कानूनन निस्तारण नहीं किया जा सकता है उक्त कानूनी आज्ञापक सिद्धान्त की विचारण न्यायालय द्वारा कोई पालना नहीं की गयी है। इस कारण आज्ञा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर भी कतई गौर नहीं किया कि कानूनन मुस्लिम विधि में पुत्री का हक–हिस्सा पुत्र के समान मान्य नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के सभी पक्षकार मुस्लिम है तथा मुस्लिम विधि से ही शासित होते है इस कारण मुस्लिम विधि के अनुसार वादिनी का कोई हक हिस्सा विवादित भूमि में बनता है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय में उद्घोषणा व तकास्मा बाबत पेश किया गया कानूनन मुस्लिम विधि में सम्पति का बंटवारा सम्पति के स्वामी के इन्तकाल होने के साथ ही वारिसान में स्वतः ही हो जाता है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट एवं प्रमाणित नहीं था कि वादिनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रमतुल्लाह की जायन्दा पुत्री हो उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य से ही पुष्ट एवं प्रमाणित हो सकता था इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा महज वादिनी के मौखिक अभिवचन को ही सही मान्य कर उसे रमतुल्लाह की पुत्री मान्य कर वाद डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 24.06.15 को आगामी तारीख पेशी 22.07.15 नियत की गयी थी परन्तु बिना किसी सूचना व नोटिस के पत्रावली राजस्व कैम्प में दिनांक 03.07.2015 को रखी जाकर अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही निर्णय में यह तथ्य अंकित कर दिया कि प्रतिवादीगण की तरफ से कोई जवाब–दावा/एतराज पेश नहीं किया गया है इसलिए वाद डिक्री किये जाने योग्य है। उक्त निष्कर्ष पूर्णतया गलत तथा, मनमाना व कानूनी प्रावधान के विपरित है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय बिना अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये ही अपीलान्टस के हक हिस्से कब्जे की भूमि कर रकबा कम किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है जबकि उक्त वादिनी की शादी आज से 65 साल पूर्व ही हो चुकी थी तथा उसका कभी भी मौके पर कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है तथा ना ही अपीलान्टस के परिवार में लड़कियों का नाम कृषि आराजी की खातेदारी में दर्ज करवाने का कोई रिवाज–परम्परा ही है। उक्त तमाम तथ्य अपीलान्टस द्वारा अपने जवाब दावा में उठाये जाने था परन्तु इससे पूर्व ही विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री तारीख पेशी से पूर्व ही पारित कर दिया गया। उक्त निर्णय कायम रहने से अपीलान्टस के कानूनी हक हकूकों पर विपरित प्रभाव पड़ने की पूर्णतया संभावना है। इस कारण भी निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत साबिक राजस्व रिकार्ड से आराजी पैतृक होना साबित होता है। वाद वंशावली व वाद के अनुसार वादिया रमतुल्ला की वारिस होना प्रकट होता है। नकल जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी मे रमतुल्ला की विरासत सत्तार इस्हाक मकसूद युनुस पि. हमीद, जुलेखा बेवा हमीद नासर पुत्र रमतुल्ला सब्बीर जावेद पि. साजिद हमीदन बेवा साजिद आदि के नाम दर्ज है। इस प्रकार से रमतुल्ला की विरासत में वादिया आदि का नाम नहीं आना साबित है। रमतुल्ला के वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वंशावली के अनुसार 7 वारिस है। सरपंच ग्राम पंचायत जाजोद के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार भी रमतुल्ला पुत्र चिनूशाह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वर्तमान में 6 वारिसान है। इस प्रकार रमतुल्ला के हिस्सा 1/4 में वादिया का 1/6 अर्थात 1/24 हिस्सा बनता है। इसके विपरित रिकार्ड में कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अतः पैतृक आराजी में वादिया अपने उक्त हक हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाद दावा प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये है। कोस्ट पर अवसर देने के उपरांत भी अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा बंद किये बिना, अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना, नियत तिथि से पूर्व पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर